सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 556 राँची ,सोमवार

5 कार्तिक 1936 (श०)

27 अक्टूबर, 2014 (ई०)

## वित्त विभाग

---

संकल्प

18 अक्टूबर, 2014

**विषय:** **राज्य सेवीवर्ग द्वारा किए गए विशिष्ट, असामान्य एवं श्रम साध्य कार्य के लिए किसी खास वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किए जाने वाले मानदेय/प्रोत्साहन राशि में अभिवृद्धि की स्वीकृति।**

**संख्या-1/स्था.(1)-304/2014(वि०)/3609--**वित्त विभागीय परिपत्र ज्ञापांक 622/वि॰ दिनांक 15 मार्च, 2003 द्वारा मानदेय/प्रोत्साहन राशि के रूप में किसी खास सरकारी सेवक को अधिकतम 2500/- रुपये किसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किए जाने की शक्ति विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष को प्रत्यायोजित है। विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष द्वारा इस प्रकार स्वीकृत किए जाने वाले मानदेय की कुल राशि एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 20,000/- रुपये की है।

2. छठे वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन/भत्ते में हुई वृद्धि एवं बढ़ी हुई महंगाई दर के मद्देनजर मानदेय के रूप में स्वीकृत होने वाली उक्त राशि काफी न्यून प्रतीत हो रही है। अतिरिक्त श्रम साध्य एवं विशिष्ट प्रकृति के कार्यों को तत्परता से संपादित करने हेतु राज्य कर्मियों के मनोबल को बनाये रखने की अनिवार्यता को देखते हुए मानदेय की दर में वृद्धि आवश्यक है।

3. अतः पूर्ण विचारोपरांत सरकारी कर्मियों को मानदेय/प्रोत्साहन राशि में निम्न शर्तों के तहत् अभिवृद्धि का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है:-

(i) विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष सेवा संहिता के नियम 23 एवं 140 के आलोक में किसी खास सरकारी सेवक को अधिकतम 5,000/- (पाँच हजार) रुपये किसी एक वित्तीय वर्ष में मानदेय की स्वीकृति दे सकते हैं।

(ii) विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष द्वारा इस प्रकार स्वीकृत किये जाने वाले मानदेय की कुल राशि एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1,00,000/- (एक लाख) रुपये की होगी।

(iii) मानदेय की राशि आय व्ययक में निधि की उपलब्धता के अधीन स्वीकृत की जायेगी। इसके लिए झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम आदि अनुमान्य नहीं होगा।

(iv) मानदेय स्वीकृति विषयक आदेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि किस विशिष्ट, असामान्य एवं श्रम साध्य कार्य के लिए मानदेय की स्वीकृति दी जा रही है।

(v) मानदेय के आदेश में एक कंडिका के रूप में यह भी अंकित होगा कि इस आदेश के द्वारा स्वीकृत की जाने वाली राशि 1,00,000/- (एक लाख) रुपये की सीमा के अंतर्गत है।

(vi) यदि किसी विशेष परिस्थिति में नियमानुसार मानेदय स्वीकृत करने योग्य कर्मियों की संख्या अधिक हो एवं इसके फलस्वरूप विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष हेतु निर्धारित कुल सीमा 1,00,000/- (एक लाख) रुपये से अधिक राशि स्वीकृति की आवश्यकता हो तो पूर्ण स्थिति एवं कारणों का उल्लेख करते हुए वित्त विभाग, झारखण्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह राशि विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष द्वारा एक वित्तीय वर्ष में स्वीकृति हेतु निर्धारित सीमा से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। कर्मी विशेष के लिए निर्धारित मानदेय की सीमा को शिथिल करने का प्रस्ताव किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।

(vii) इस संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे एवं यह आदेश चालू वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगा। विगत वर्षों के लंबित मानदेय का भुगतान बढ़े हुए दर पर नहीं किया जायेगा।

(viii) यह संविदा/एकमुश्त/दैनिक वेतनभोगी कर्मियों पर भी लागू होगा।

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 के मद सं॰ 23 में इसकी स्वीकृति दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**राजबाला वर्मा,**

सरकार के प्रधान सचिव।

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 556–50 ।